

सेवा में,
To,
निदेशक / उप-निदेशक,
Director /Dy.Director,
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
O/o the Director General of Audit,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग,
Environment & Scientific Departments,
कोलकाता शाखा
Kolkata Branch

महोदय,
Sir,

दिनांक..... से.....तक..... दिनों के लिए मेरे अवकाश के असमाप्त भाग रद्द किए जाने के बाद मैं अपने दिनांकसे.....तक के अवकाश की समाप्ति पर इस दिन पूर्वाह्न/अपराह्न में ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करता हूँ। अवकाश चिकित्सा आधार पर लिया गया था। CCS Leave Rules 1972 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार एका दुरुस्ती प्रमाण पत्र संलग्न है। अवकाश के लिए लिया गया था।

I am to report myself for duty this day forenoon/afternoon on the expiry of my leave from to After the cancellation of the unexpired portion of my leave for Days from to The leave was taken on medical ground. A certificate of fitness as required under C.C.S. Leave Rules 1972 is enclosed. The leave was taken on account of

भवदीय,
Yours faithfully,

दिनांक:
Date:

हस्ताक्षर:
Signature:
नाम:
Name:
पदनाम:
Designation:
अनुभाग/एल.ए.पी.:
Section/LAP:

उन्हें अनुभाग में पदस्थापित/पुनर्पदस्थापित किया जाता है। उनके स्थान पर कोई एवजी नहीं दिया गया था।

अतिरिक्त व्यक्ति श्री/श्रीमती को..... अनुभाग में स्थानांतरित किया जाता है।

He/She is posted/reposted to Section. No substitute was given in his/her place.

The excess man Shri/Smt. is transferred to Section.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
Sr. Audit Officer (Admn)

निदेशक / उप-निदेशक
Director / Dy.Director